



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2013/माघ 10, 1934

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2013/MAGHA 10, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 54(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2013 होगा।  
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "गुजरात" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"गुजरात

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	162
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव	4
सरकार के प्रधान सचिव	9
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
प्रधान रेजिडेंट आयुक्त, नई दिल्ली	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1
महा निदेशक, एसपीआईपीए	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	1
ग्रामीण विकास आयुक्त	1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
सरकार के सचिव	25
विकास आयुक्त	1
उद्योग आयुक्त	1

निपटान आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक	1
आयुक्त, भूमि सूधार	1
आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग	1
आयुक्त परिवहन	1
आयुक्त उच्च शिक्षा	1
आयुक्त, मत्स्य पालन	1
आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा	1
आयुक्त, महिला एवं बाल विकास	1
आयुक्त भू-विज्ञान एवं खनन	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
आयुक्त, विद्यालय	1
मुख्यमंत्री के सचिव	1
श्रम आयुक्त	1
आयुक्त, लोक उद्यम ब्यूरो	1
सूचना आयुक्त	1
राहत आयुक्त	1
आयुक्त, जनजातीय विकास	1
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	1
आयुक्त, राजस्व निरीक्षण	1
आयुक्त, युवा खेल तथा युवा सेवाएं	1
राज्यपाल के सचिव	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	25
कलैक्टर्स	26
जिला विकास अधिकारी	26
निदेशक, नगरपालिका	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	1
आयुक्त, मनोरंजन कर	1
उप महानिदेशक, एसपीआईपीए	1
निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण	1
निदेशक, नागरिक अपूर्ति	1
निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण	1
अपर आयुक्त, उद्योग	1
अपर विकास आयुक्त	1
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
अपर ग्रामीण विकास आयुक्त	1
स्टाम्पस अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक	1
आयुक्त, मिड-डे-मील	1
निदेशक, आईसीडीएस	1

	अपर ग्रामीण विकास आयुक्त (एमएनआरईजीए)	1
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	162
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	64
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	40
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	5
5.	एलआर और जेआर उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	26
6.	पदोन्नति पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	90
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	207
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	297

[सं. 11031/5/2011-अ.भा.से-II (क)]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, गुजरात संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 260 थी।

टिप्पणी (2) : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये गुजरात संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.न.सं.	तारीख
1	505	29.04.1960	13	639	11.07.1981
2	979	27.08.1960	14	37	18.01.1986
3	226	24.02.1962	15	190	26.03.1988
4	163	02.02.1963	16	419	17.06.1989
5	435	14.03.1964	17	271	06.06.1992
6	1715	27.11.1964	18	654 (अ)	15.10.1993
7	1275	04.09.1965	19	297	25.06.1994
8	1231	13.08.1966	20	319 (अ)	31.03.1995
9	1116	29.07.1967	21	754 (अ)	04.11.1999
10	308	08.03.1975	22	140	29.03.2000
11	1251	21.10.1978	23	706 (अ)	16.11.2006
12	221 (अ)	21.04.1980	24	188 (अ)	24.03.2009